राजस्व आवेदन संख्या 133/2025
गुमानाराम बनाम गुड़ादेवी वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 133/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/211

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.गुमानाराम पुत्र प्रभूराम 2.धूड़ी पत्नी प्रभूराम 3.बाबूराम पुत्र प्रभूराम 4.रतनाराम पुत्र प्रभूराम 5.सोमाराम पुत्र प्रभूराम जाति कलबी निवासी बागलोप तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.गुडादेवी पुत्री सुरताराम 2.महेन्द्रसिंह पुत्र सुरताराम 3.श्रवणकुमार पुत्र सुरताराम जाति चौधरी निवासी–लूणावास,तहसील लूणी व जिला जोधपुर 4.जवानराम पुत्र रूगनाथराम 5.मगनाराम पुत्र रूगनाथराम जाति जाट निवासी धर्मसर तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 6.ढलाराम पुत्र पोकरराम जाति चौधरी निवासी लूणावास तहसील लूणी 7.माधोराम पुत्र रूगनाथराम जाति जाट निवासी धर्मसर तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 8.मोहनीदेवी पत्नी बागाराम जाति चौधरी निवासी लूणावास तहसील लूणी व जिला जोधपुर 9.लीला देवी पुत्री बागाराम 10.वेनाराम पुत्र बागाराम जाति चौधरी निवासी लूणावास तहसील लूणी व जिला जोधपुर 11.केलादेवी पत्नी ढलाराम जाति जाट निवासी धर्मसर तहसील कल्याणपुर 12.जेठाराम पुत्र मगनाराम 13.राजूराम पुत्र मगनाराम 14.भंवरीदेवी पुत्री मगनाराम 15.छोटीदेवी पुत्री मगनाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 133/2025
गुमानाराम बनाम गुड्डीदेवी वगैरा

जाति चौधरी निवासी लूणावास
तहसील लूणी व जिला जोधपुर
16.शाखा प्रबंधक एस.बी.आई कल्याणपुर
17.दी सेण्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कल्याणपुर
18.राजस्थान सरकार राज्य जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 178/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर,खसरा संख्या 179/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 178/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर,खसरा संख्या 179/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 178/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर,खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

179/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में वाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 178/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर,खसरा संख्या 179/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धर्मसर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 178/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर,खसरा संख्या 179/72 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओ मे विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.6.2024 की छायाप्रति अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 178/72 व 179/72 की सीमाज्ञान कार्यवाही की गई,जिसमे उपस्थित मौतबराने ने सीमाकंन को सही माना। इस प्रकार विवादित आराजी की सीमाओ को लेकर विवाद की कोई टिप्पणी अंकित नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन धारा 111 मे निहित प्रावधानो के तहत बनता ही नही है,क्योकि सीमाज्ञान मौका फर्द मे विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद होने का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण मे राहत प्राप्त करने के हकदार नही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 133/2025
गुमानाराम बनाम गुड़ादेवी वगैरा

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

12/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा